

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0)

।। परिपत्र।।

क्रमांक — क/दो-12-41/1975

दुर्ग, दिनांक 20/05/2026

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 के परिपत्र संख्या 183/22/2026— एसजी और उसके बाद दिनांक 18.05.2026 के परिपत्र संख्या 183/23/2026 एसजी के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने वर्ष 2026 की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया है, जिसके परिपालन में समस्त न्यायिक अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का परिपत्र क्रमांक 143 (विविध) दो-14-1/2026 बिलासपुर दिनांक 19.05.2026 के मुख्यतः कण्डिका-03 एवं 04 के अनुसार जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें:-

कण्डिका-03 :- जिला न्याय पालिका के अनुभाग प्रभारी/कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों को प्रति सप्ताह अधिकतम दो दिन घर से काम करने की अनुमति प्रदान करते हुए कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें और जिन्हें घर से काम करने की अनुमति दी गई है, वे आवश्यकतानुसार कार्यालय/अनुभाग में उपस्थित होने के लिए हमेशा टेलीफोन पर उपलब्ध रहें।

कण्डिका-04 :- ईंधन की बचत करने के लिए, इस जिला स्थापना के समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे कार्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ शासकीय वाहन साझा करते हुए वाहन पूलिंग व्यवस्था अपनाएँ।

अतएव जिला न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कर्मचारियों को प्रति सप्ताह अधिकतम दो दिन “वर्कफ्रॉम होम” की अनुमति प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करें की कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपलब्ध रहें, तथा जिन कर्मचारियों को वर्कफ्रॉम होम की अनुमति प्रदान की जावेगी वे आवश्यकतानुसार कार्यालय/ अनुभाग/न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सदैव दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे साथ ही जिन कर्मचारियों के वर्कफ्रॉम होम के तहत कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, वे कार्यालयीन समय पर घर में ही रहकर कार्य करना सुनिश्चित करते हुए ईंधन की बचत करें।

जिला स्थापना के समस्त न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध है की वे अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ शासकीय वाहन यथा— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के शासकीय वाहनों को साझा करते हुए वाहन “पूलिंग व्यवस्था” अपनाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)